E-ISSN: 2706-8927
P-ISSN: 2706-8919
www.allstudyjournal.com
IJAAS 2023; 5(11): 11-14
Received: 12-09-2023
Accepted: 19-10-2023

सरिता
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

Corresponding Author:
सरिता
एसोसिएट प्रोफ़ेसर, शिक्षा विभाग, अदिति महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय, दिल्ली, भारत

समावेशन, सशक्तीकरण एवं खेल : अन्तर्सम्बन्धों का अध्ययन

सरिता

DOI: https://doi.org/10.33545/27068919.2023.v5.i11a.1070

सारांश
इस शोध आलेख में ग्रामीण बालिकाओं के संदर्भ में सामाजिक समावेशन, सशक्तीकरण एवं इसमें खेलों की भूमिका को गहनता से समझने का प्रयास किया गया है। ग्रामीण बालिकाओं की सामाजिक समावेशन की स्थिति कैसी है? ग्रामीण बालिकाओं का खेलों के प्रति क्या दृष्टिकोण है एवं उनकी क्या रूचि हैं? ग्रामीण बालिकाओं को खेलों से संबंधित क्या–क्या सुविधाएँ एवं अवसर उपलब्ध हैं? ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक समावेशन में खेलों की भूमिका कैसी है, सशक्तीकरण को कैसे बढ़ाया जा सकता है, इत्यादि उद्देश्यों के संबंध में यह शोध कार्य हरियाणा प्रदेश के एक गाँव में किया गया है। इस शोध में गुणात्मक शोध पद्धति को अपनाया गया जिसमें साक्षात्कार एवं अवलोकन का प्रमुख उपकरण के रूप में इस्तेमाल किया गया है। इस शोध के प्रमुख निष्कर्ष रहे हैं :– ग्रामीण संदर्भ में बालिकाओं की सामाजिक भागीदारी अत्यंत सीमित है। गाँवों की सामाजिक गतिविधियों में इनकी सहभागिता का स्तर भी चिंताजनक रूप से कम पाया गया। खेलों के प्रति ग्रामीण बालिकाओं का दृष्टिकोण सकारात्मक एवं उत्साहवर्द्धक पाया गया और इनके आदर्श भी अधिकांशतः इन जैसी ही पृष्ठभूमि से पाए गए। ग्रामीण बालिकाओं की खेलों में रूचि भी पाई गई परन्तु खेलों के लिए ग्रामीण संदर्भ में पर्याप्त सुविधाओं एवं अवसरों का तुलनात्मक रूप से अभाव पाया गया। ग्रामीण संदर्भ में बालिकाओं के सामाजिक समावेशन एवं सशक्तीकरण को बढ़ावा देने में खेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। इस प्रकार ग्रामीण संदर्भ में बालिकाओं के सामाजिक समावेशन, सशक्तीकरण एवं उसमें खेलों की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है।

कुटशब्दः बालिकाएँ, समावेशन, सशक्तीकरण, खेल

प्रस्तावना
हमारे देश में आजादी के पचहत्तर वर्षों के उपरांत भी स्त्रियों का समाज में पर्याप्त रूप से सामाजिक समावेशन नहीं हुआ है। स्त्रियाँ अभी भी समाज की बहुत–सी गतिविधियों से बर्हिवेशित हैं। उनके लिए समाज में पर्याप्त अवसर एवं सुविधाएँ उपलब्ध नहीं हैं। स्त्रियों के लिए पूर्ण समावेशी समाज का सपना वास्तविकता से कोसो दूर है। भारतीय समाज में स्त्रियाँ ऐसा वंचित वर्ग है जिसकी सहभागिता विभिन्न सामाजिक गतिविधियों में पुरुषों के बराबर नहीं है।

भारतीय समाज
भारतीय समाज एक विविधतापूर्ण समाज है जिसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जो इसमें रहने वाले व्यक्तियों के जीवन को प्रभावित करती हैं एवं दूसरी ओर व्यक्तियों से स्वयं ये निर्मित भी होती हैं। भारतीय समाज की प्रमुख विशेषताएँ हैं :– पितृसत्तात्मकता, विविधता, नातेदारी, परिवार व्यवस्था, विवाह संस्था में विश्वास इत्यादि। इस प्रकार अखिल भारतीय समाज में क्षेत्रीयता, संसाधनों की उपलब्धता, औद्योगिकीकरण, तकनीकी विकास इत्यादि के कारण कई प्रकार के उप–समाज भी विद्यमान हैं। इनमें ग्रामीण समाज, जनजातीय समाज, शहरी समाज इत्यादि प्रमुख हैं जो अपनी विशेषताओं के कारण एक–दूसरे से भिन्न हैं।

ग्रामीण समाज
सन् 2011 की जनगणना के अनुसार हमारे देश की कुल जनसंख्या का 68.8 प्रतिशत गाँव में निवास करता है। अतः कहा जा सकता हैं कि दो–तिहाई से भी अधिक जनसंख्या गाँव में रहती है। यहाँ इस शोध में ग्रामीण संदर्भ से तात्पर्य ग्रामीण समाज, उसकी परिस्थितियों एवं उसमें निहित व्यवहारों से है जिनका प्रभाव उस गाँव में रहने वाली बालिकाओं पर प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से पड़ता ळें बाहरी रूप से ग्रामीण समाज वह समाज है जो औद्योगिक एवं तकनीकी विकास के कारण इनसे मिलने वाली सुख–सुविधाओं में शहरी समाज से पीछे है।

लेकिन आंतरिक रूप से इसकी अपनी कुछ विशेषताएँ हैं जिन्हें आगे संक्षिप्त रूप से बताया गया है।

साक्षरता दर

सन् 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि ग्रामीण क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 67.77 प्रतिशत है जबकि शहरी क्षेत्रों में 84. 11 प्रतिशत है। आँकड़ों से स्पष्ट है कि ग्रामीण जनसंख्या शहरी जनसंख्या की तुलना में अपेक्षाकृत कम साक्षर है। स्त्री साक्षरता दर भी ग्रामीण क्षेत्रों में पुरुषों की तुलना में बहुत कम है। साक्षरता दर का सीधा संबंध आय, सशक्तीकरण एवं विकास से है। साक्षरता दर में पिछड़ापन ग्रामीण क्षेत्रों की बहुत सी स्थितियों के चित्र मस्तिष्क में कुरेद देता है जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से लोगों के जीवन को प्रभावित करता है।

पदानुक्रमता

ग्रामीण समाज की एक अन्य विशेषता इस समाज में पदानुक्रमता का पाया जाना है। अधिकांश ग्रामीण समाज जाति व्यवस्था आधारित होते हैं जिसके कारण समाज में स्तरीकरण एवं पदानुक्रमता पाई जाती है। कुछ जातियों का समाज में स्टेट्स ऊँचा होता और कुछ का नीचा। इस जन्म आधारित जाति–व्यवस्था के चिह्न एवं इसकी उपस्थिति ग्रामीण समाज में आज भी देखी जा सकती है। जातियाँ पदानुक्रम का आधार हैं परन्तु जाति आधारित कार्यों में निरन्तर कमी स्वतंत्रता के उपरांत ग्रामीण समाज में भी देखी गई है।

व्यवसाय

अधिकांश रूप से गाँवो में लोग परम्परागत कार्य जैसे कृषि एवं पशुपालन या अपने कम आय वाले कार्य ही करते हैं। इन परम्परागत कार्यों में आधिकांशतः ग्रामीण शारीरिक श्रम अधिक करते हैं। इस प्रकार के कार्यों में देखा गया है कि शारीरिक श्रम अधिक करना पड़ता है और ग्रामीणों की आय भी कम होती है। अधिकतर ग्रामीणों के व्यवसाय प्रकृति के भरोसे होते हैं। बे मौसम बरसात, बाढ़ या सूखा पड़ने से फसलें नष्ट हो जाती हैं। अंतः अधिकांश ग्रामीणों का व्यवसाय प्रकृति की दया पर निर्भर है।

सुविधाओं की कमी

ग्रामीण क्षेत्र मुख्यतः शहरी कस्बों या नगरों से दूर होते हैं। बहुत से गाँवों तक परिवहन के साधन भी उपलब्ध नहीं हैं। पक्के रास्ते नहीं हैं। अभी भी बहुत से गाँवों में मूलभूत सुविधाओं जैसे बिजली, पानी इत्यादि की कमी पाई जाती है या उनमें इनकी निरन्तर व्यवस्था नहीं है।

गाँव में उच्च शिक्षण संस्थान, अस्पताल पर्याप्त नहीं हैं। इन तक ग्रामीणों की पहुँच दुर्गम है। इन मूलभूत सुविधाओं की कमी एवं इनकी निर्बाध व्यवस्था के कारण ग्रामीणों का जीवन अपेक्षाकृत संघर्षों से भरा होता है। परिस्थतियों में संघर्ष स्त्रियों के सर्वाधिक होते हैं। इन सुविधाओं की कमी से स्त्रियों का जीवन अत्यधिक प्रभावित है।

असमानता

ग्रामीण समाज में परम्परागत सोच के कारण स्त्री एवं पुरुष में असमानता पाई जाती है। परम्परागत रूप से स्त्री के कार्य क्षेत्र घरेलू तथा पुरुष के कार्य क्षेत्र घर से बाहर के माने जाते हैं (दूबे, 2005)। इस कार्य विभाजन के कारण स्त्री घर की चारदीवारी में रसोई इत्यादि के कार्यों तक सीमित रह गई और ये घरलू कार्य अनिवार्य रूप से स्त्री के कार्य ही समझे जाने लगे हैं। इस परम्परागत कार्य विभाजन का परिणाम यह रहा कि घर के बाहर के कार्यों में उसी की सहभागिता सीमित रह गई और घर के बाहर के अधिकांश क्षेत्रो में स्त्रियाँ बर्हिवेशित हो गई।

बंद समाज

ग्रामीण समाज को बंद समाज भी कहा जा सकता है क्योंकि बाहरी जगत अर्थात दूसरे गाँव एवं नगरों से इनका सम्पर्क कम होता और होता भी है तो नगरों का प्रभाव ग्रामीण समाज पर अपेक्षाकृत कम पाया जाता है। गाँवों से बाहर स्त्रियों का आवागमन पुरुषों का तुलना में बहुत कम होता है और इसका असर स्त्रियों के सर्वांगीण विकास पर देखा जा सकता है।

हरियाणा प्रदेश

हरियाणा प्रदेश 1 नवम्बर 1966 को भारत के 17वें राज्य के रूप में अस्तित्व में आया था। यह भारत का उत्तरी क्षेत्र का प्रदेश है एवं राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के तीन ओर इसका विस्तार है। हरियाणा की आबादी भारत की कुल आबादी का लगभग 02 प्रतिशत है। इसकी लगभग दो–तिहाई आबादी गाँवों में निवास करती हैं। यह एक कृषि एवं पशुपालन आधारित प्रदेश है। इसकी 87.46 प्रतिशत जनसंख्या हिन्दू है। यह तुलनात्मक रूप से एक समृद्ध प्रदेश है।

हरियाणा में स्त्रियों की स्थिति

हरियाणा प्रदेश की गणना भले ही भारत के समृद्ध प्रदेशों में की जाती है परन्तु कुछ नकारात्मक पहलू भी इस प्रदेश के साथ जुड़े हुए हैं जो यहाँ की स्त्रियों से संबधित हैं। इन पहलुओं को संक्षिप्त रूप से आगे प्रस्तुत किया गया है।

लिंगानुपात

हरियाणा का स्त्री–पुरुष लिंगानुपात बहुत ही खराब स्थिति में है। 2011 की जनगणना के अनुसार हरियाणा में प्रति हजार पुरुषों पर 879 स्त्रियाँ थी जबकि देश का लिंगानुपात 943 स्त्रियाँ प्रति हजार पुरुषों का था। हरियाणा की यह खराब स्थिति राज्यों की सूची में दिल्ली के उपरांत दूसरे नम्बर पर थी तथा राज्यों एवं केन्द्रशासित प्रदेशों की सूची में हरियाणा छठें पायदान पर था। देश का बाल–लिंगानुपात (Child Per Ratio) 2011 की जनगणना के अनुसार 919 लड़कियाँ प्रति हजार लड़कों का था। हरियाणा में यह सबसे कम 834 लड़कियाँ प्रति हजार लड़कों का था। हरियाणा का लिंगानुपात एवं बाल लिंगानुपात दोनों ही यहाँ स्त्रियों की कम संख्या होना दर्शाता है। यह स्थिति विचारणीय है। स्त्रियों की संख्या में वृद्धि कर लिंगानुपात में संतुलन बनाना हरियाणा प्रदेश के लिए कड़ी चुनौती है।

साक्षरता दर

सन् 2011 की जनगणना के आँकड़े दर्शाते हैं कि हरियाणा की औसत साक्षरता दर 75.6 प्रतिशत है परन्तु यहाँ की शहरी एवं ग्रामीण साक्षरता दर में एक खाई है। ग्रामीण क्षेत्र साक्षरता दर में शहरी क्षेत्रों से बहुत पीछे हैं। शहरी क्षेत्रों में औसत साक्षरता दर 83.1 प्रतिशत जबकि ग्रामीण क्षेत्रों में यह 71.4 प्रतिशत है। ग्रामीण क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर से स्पष्ट है कि यह शहरी क्षेत्रों की औसत साक्षरता दर से बहुत कम है। ग्रामीण क्षेत्रों की साक्षरता में स्त्री साक्षरता के आँकड़े तो और भी भयावह है। ग्रामीण क्षेत्रों में स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता दर से लगभग 30 प्रतिशत तक कम है। यह स्थिति भी हरियाणा में स्त्रियों की शैक्षिक स्थिति को स्पष्ट करती है।

महिलाओं के विरुद्ध अपराध

राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरों के आँकड़ों से स्पष्ट है कि महिलाओं के विरुद्ध अपराध के मामलों में हरियाणा पिछले कुछ वर्षों से ऊपरी पाँच राज्यों में बना हुआ है। राष्ट्रीय अपराध रिकार्ड ब्यूरों के 2022 के आँकड़ों में इसका स्थान सामूहिक बलात्कार के केसों में दूसरा है। स्त्रियों के साथ अपराध की अधिकता स्त्रियों के

लिए राज्य में भय का माहौल बनाती है। इसका सीधा संबंध स्त्रियों की सामाजिक गतिविधियों, उनकी सहभागिता पर पड़ता है। इससे स्त्रियों का शिक्षा, उनके कार्य, स्वतंत्रता, समानता इत्यादि प्रभावित होते हैं। संभावना है कि इससे प्रदेश में स्त्रियों से संबधित संकीर्ण मानसिकता भी उत्पन्न हो और स्त्रियों पर पाबंदियाँ भी बढ़ें।

विवाह की आयु

हरियाणा प्रदेश में बहुत से कारण हो सकते हैं जो कि प्रदेश में स्त्रियों की वैद्य विवाह आयु से पूर्व ही उनके विवाह को प्रोत्साहन देते हैं। नेशनल फेमिली हेल्थ सर्वे–(5) (2019–21) से यह स्पष्ट है कि हरियाणा में 23.3 प्रतिशत स्त्रियों का विवाह उनकी कानूनी रूप से वैद्य आयु से पूर्ण कर दिया जाता है। इनमें भी अधिकतर ग्रामीण स्त्रियाँ ही हैं। इस सर्वे के आँकड़ों से यह स्पष्ट है कि हरियाणा में 15 वर्ष से 19 वर्ष की 6.8 प्रतिशत स्त्रियाँ या तो माँ बन चुकी हैं या गर्भवती है। यह आँकड़े शीघ्र विवाह एवं माँ बनने के साथ–साथ उनके आगामी प्रभावों की ओर भी संकेत करते हैं कि बालिकाओं का जीवन कैसा है और उसे स्वस्थ एवं सशक्त बनाने के लिए किस प्रकार की योजनाएँ सरकारों को बनानी एवं कार्यान्वित करनी चाहिए।

सामाजिक बर्हिवेशन एवं सामाजिक समावेशन

विभिन्न आँकड़ों से स्पष्ट है कि हरियाणा में विशेषकर ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाएँ एवं स्त्रियाँ बहुत सी सामाजिक गतिविधियों से बर्हिवेशित हैं। स्त्रियों की साक्षरता दर, लिंगानुपात, उनके विरुद्ध अपराध, विवाह के समय आयु इसके संकेतक है कि स्त्रियों के सामाजिक समावेशन में कुछ कमी है। लड़कियाँ पैदा कम होती हैं और उनकी साक्षरता दर भी कम है। यह उनके बर्हिवेशन का संकेतक हैं। घरेलू कार्यों में रहना भी उनकी सामाजिक सहभागिता को सीमित करता है।

हरियाणा के ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के सामाजिक समावेशन को बढ़ावा देने की आवश्यकता है। सामाजिक समावेशन से अभिप्राय बालिकाओं के लिए अवसरों की निरन्तर उपलब्धता, परिस्थितियाँ कायम रखना है जिससे सामाजिक गतिविधियों में उनकी भागीदारी को बढ़ाया जा सकें। इस प्रक्रिया में बालिकाओं की गरिमा भी कायम रखी जाती है। सामाजिक समावेशन बालिकाओं के विकास, आत्मनिर्भरता एवं सशक्तीकरण से संबंधित है। सशक्त बालिकाएँ सशक्त प्रदेश एवं राष्ट्र का निर्माण करती हैं। अतः सामाजिक समावेशन एक सशक्त, आत्मनिर्भर राष्ट्र के लिए भी अत्यधिक आवश्यक है एवं यह समय की माँग है। बालिकाओं को उनका हक मिलना चाहिए।

हरियाणा प्रदेश एवं खेल

हरियाणा प्रदेश की आबादी भारत की कुल आबादी का मात्र लगभग 2 प्रतिशत है लेकिन खेलों में इस प्रदेश की भागीदारी एवं योगदान इससे कहीं अधिक है। 2021 के टोक्यो ओलंपिक में हरियाणा प्रदेश के 31 खिलाड़ियों ने भाग लिया था और यह टोक्यो ओलंपिक में भाग लेने वाले खिलाड़ियों का 25 प्रतिशत है। हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ी अन्तरराष्ट्रीय स्तर पर हिस्सेदारी भी अधिक करते हैं साथ ही साथ पदक जितने में भी। टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने में इसकी 50 प्रतिशत हिस्सेदारी रही थी। ओलंपिक खेलों के अतिरिक्त अन्य महत्त्वपूर्ण अन्तरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं जैसे कॉमनवेल्थ, एशियाई खेलों में भी हरियाणा प्रदेश के खिलाड़ियो की हिस्सेदारी एवं पदक अधिक होते हैं। हरियाणा प्रदेश से खिलाड़ी कुश्ती, मुक्केबाजी, हॉकी, कबड्डी, निशानेबाजी, टेनिस, एथलेटिक्स से भी अन्तरराष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में हिस्सेदारी कर रहे हैं एवं पदक जीत रहे हैं। हरियाणा में खेलों की इस स्थिति और देश के राष्ट्रीय खेलों में इसके दबदबे को देखकर इसे भारत की खेल राजधानी भी कहा जाने लगा है। हरियाणा में खेलों में स्त्रियों का भी पर्याप्त प्रतिनिधित्व है एवं यहाँ से अन्तरराष्ट्रीय महिला पदक विजेता खिलाड़ी भी आती हैं।

शोध क्षेत्र

यह अध्ययन हरियाणा प्रदेश के ग्रामीण संदर्भ में किया गया है। इसके लिए हरियाणा प्रदेश के झज्जर जिले का चयन किया गया था। इस जिले का चयन इसकी लिंगानुपात में पिछड़ी स्थिति एवं अन्य ग्रामीण विशेषताओं के आधार किया गया था। यहाँ बाल–लिंगानुपात 2011 जनगणना के अनुसार देश में सबसे कम था। औसत साक्षरता दर में स्त्री साक्षरता दर पुरुष साक्षरता से 20 प्रतिशत तक कम थी। इस जिले के एक गाँव में यह अध्ययन किया गया था।

शोध के उद्देश्य

इस शोध में ग्रामीण संदर्भ में बालिकाओं का सामाजिक समावेशन एवं उसमे खेलों की भूमिका को समझने का प्रयास किया गया है। इस शोध के प्रमुख उद्देश्य निम्नलिखित थे :–

- ग्रामीण बालिकाओं की सामाजिक समावेशन की स्थिति का अध्ययन करना।
- ग्रामीण बालिकाओं की खेलों में रूचि एवं दृष्टिकोण का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।
- ग्रामीण क्षेत्रों में बालिकाओं के लिए उपलब्ध खेलों की सुविधाओं एवं अवसरों का अध्ययन करना।
- ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक समावेशन एवं सशक्तीकरण में खेलों की भूमिका का विश्लेषणात्मक अध्ययन करना।

शोध उपकरण

यह शोध गुणात्मक पद्धति पर आधारित था। इसमें साक्षात्कार अवलोकन, फोकस समूह परिचर्चा का शोध उपकरण के रूप में प्रयोग किया गया था। गाँव की बालिकाओं, अभिभावकों, ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत सदस्यों से आँकड़े एकत्रित किए गए थे।

निष्कर्ष

- इस शोध में पाया गया कि अधिकांश (90 प्रतिशत) ग्रामीण बालिकाएँ अपने घरों से बाहर केवल स्कूल जाने के लिए ही निकलती हैं। बालिकाएँ घरों में रहती हैं, सम्पूर्ण घरेलू कार्य करती हैं। 10 प्रतिशत बालिकाएँ ऐसी थी जो किसी घरेलू कार्य से संबधित या खेती के कार्य के लिए घर से बाहर जाती थीं। इन बालिकाओं के साथ घर से बाहर जाते समय कोई घर का बड़ा व्यक्ति भी साथ होता था। बालिकाएँ अकेली घर से बाहर नहीं जाती थी।
- गाँव की सभी बालिकाओं का नामांकन विद्यालय में पाया गया और शैक्षिक समावेशन के साथ–साथ अन्य स्थानीय गतिविधियों के लिए उनके पास अवसर एवं सुविधाओं की कमी पाई गई। बालिकाओं पर घर से बाहर जाने पर अघोषित प्रतिबंध पाया गया।
- 90 प्रतिशत बालिकाओं की खेलों में रुचि थी। बालिकाओं की कुश्ती एवं मुक्केबाजी सर्वाधिक पसंद मिली। बालिकाएँ खेलों को अच्छा मानती थी। बालिकाएँ खेलों के माध्यम से जीवन में आगे बढ़ना चाहती थी।
- कुछ अन्तरराष्ट्रीय कुश्ती खिलाड़ियों के नाम भी बालिकाओं ने अपने आदर्श के तौर पर बताए।
- बालिकाएँ अपने परिवार की आर्थिक सहायता करने एवं मान–सम्मान बढ़ाने के लिए खेलना चाहती हैं। बालिकाओं में खेलने के प्रति विशेष रूचि मिली।
- विद्यालय स्तर पर थोड़ी बहुत सुविधाएँ ही उपलब्ध पाई

गई। बालिकाओं के लिए जिला स्तर की प्रतियोगिता में हिस्सा लेना एक बड़ी उपलब्धि गिनाई गई। बालिकाएँ इसे अपने घर से बाहर एक गाँव से बाहर जाने के अवसर के रूप में देखती हैं। यह उनकी सामाजिक गतिविधियों में हिस्सेदारी को बढ़ावा देता है।

- खेलों में जो भी विद्यालय की ओर से भागीदारी थी उससे बालिकाओं में समानता का भाव भी पाया गया।
- ग्राम स्तर पर बालिकाओं के लिए पर्याप्त सुविधाओं का अभाव पाया गया। यहाँ खेल का मैदान था परन्तु उसको लड़के ही प्रयोग करते थे। बालिकाओं के लिए खेल में भागीदारी के अवसर विद्यालय के माध्यम से ही उपलब्ध थे एवं सुविधाएँ भी जो थी वे स्कूली प्रांगण में ही थी।
- ग्रामीण बालिकाओं के सामाजिक समावेशन में खेलों की महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई। खेल बालिकाओं के लिए एक सामाजिक एक्स्पोजर का माध्यम है। खेल बालिकाओं की सामाजिक गतिविधियों में सहभागिता को तो बढ़ावा देता है साथ ही साथ बालिकाओं में अनुशासन, सहनशीलता, संयम, नेतृत्व, प्रतियोगिता एवं सहयोग इत्यादि गुणों का भी विकास करने में सहायक है। खेल बालिकाओं के सशक्तीकरण को भी बढ़ावा देते हैं।

सुझाव

- शिक्षा एवं खेल का जुड़ाव अपार संभावनाओं से परिपूर्ण है एवं इस पर जोर देना चाहिए।
- ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं। बालिकाओं के सामाजिक समावेशन में भी इनकी महत्त्वपूर्ण भूमिका देखी गई है। एक परम्परागत, सुविधाहीन, लैंगिग पक्षपात आधारित समाज में खेलों के माध्यम से जिनमें बालिकाओं की भी रूचि पाई गई एवं उनके अभिभावकों एवं ग्रामीणों की भी सकारात्मक सोच रही बालिकाओं के सामाजिक समावेशन में और अधिक प्रभावशाली भूमिका हो सकती है। ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों की सुविधाएँ एवं अवसर बालिकाओं के लिए निरन्तर बढ़ाकर, उपलब्ध कराकर बालिकाओं की सामाजिक गतिविधियों में भागीदारी को बढ़ाया जा सकता है। इसके लिए पंचायत स्तर पर विद्यालयी परिसर के अन्दर एवं बाहर सुविधाएँ उपलब्ध कराने की आवश्यकता हैं। हरियाणा सरकार की खेल नीति के कारण ग्रामीण बालिकाओं की खेलों में रूचि एक कारण हो सकता है। लेकिन खेलों में रूचि का कारण जो भी हो जब बालिकाओं की खेलों में रूचि है तो उनको अवसर एवं सुविधाएँ तो निरन्तर मिलनी चाहिए। अतः कह सकते हैं कि बालिकाओं के सामाजिक समावेशन में उनके सशक्तीकरण में खेलों की प्रभावी भूमिका की अपार संभावनाएँ छिपी हुई हैं। इस दिशा में अभी और आधिक सहयोग एवं सुविधाएँ तथा अवसर उपलब्ध कराने की आवश्यकता है।

संदर्भ

1. Census 2011.India. https://www.census2011.co.in>
2. Crime in India 2021 (25 Aug. 2022). Statistics Volume-1, National Crime Records Bureau, Ministry of Home Affairs, Government of India, New Delhi.
3. District Jhajjar, Government of Haryana. https://jhajjar.nic
4. Haryana. https://haryanagov.in
5. Lowest Sex Ratio State in India - Population on Census; c2011. https://www.census2011.co.in>facts
6. National Family Health Survey (NFHS-5) 2019-21, (2022). Compendium of Fact Sheets, India and 14 States/UTs (Phase 11), Ministry of Health and Family Welfare, Government of India. MOHEW https://main.mohfw.gov.in>...PDF
7. Profile-Literacy - Know India. https://knowindia.india.gov.in.>lite...
8. Silver Hilary. The Context of Social Inclusion, Department of Economics & Social Affairs, United Nations Secretariate, New York, USA, (DESA Working Paper No. 144, United Nations); c2015. un.org https://www.un.org>papers
9. Social Inclusion - World Bank. https://www.worldbank.org>topic
10. दूबे, श्यामाचरण, अनु. (वंदना मिश्रा) (2005). भारतीय समाज, राष्ट्रीय पुस्तक न्यास, भारत।
11. युवा कार्य एवं खेल मंत्रालय https://www इंडिया, सरकार, भारत>.